(2)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com.

क्रमांक: रामाशिप / जय / निष्पादक समिति / 11 / दिनांक:

निष्पादक समिति हेतु एजेण्डा नोट

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रतिवर्ष विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के विभिन्न भौतिक एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राशि जारी की जाती है। उक्त राशि में से पर्याप्त मात्रा में पुस्तकालय संवर्धन हेतु पुस्तकें क्रय करने एवं विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण साहित्य उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक विद्यालय स्तर पर संस्था प्रधानों के माध्यम से ही उक्त राशि का उपयोग किया जाता रहा है। विगत वर्षों में विभिन्न निरीक्षणों एवं प्राप्त फीड बैक के आधार पर पाया गया कि इन विद्यालयों के पुस्तकालयों में स्तरीय पुस्तकें / साहित्य उपलब्ध करवाने के जिस उद्धेश्य से यह राशि जारी की जाती रही है, उसका सार्थक उपयोग आवश्यक है।

वर्तमान में स्कूल स्तर पर अच्छे प्रकाशकों, लेखकों, साहित्यकारों की सूचना एवं जानकारी इकठ्ठा करना एवं सभी स्कूलों में क्रय की जाने वाली पुस्तकों में विषयवस्तु की एकरूपता, मूल्य आधारित एकरूपता की अपनी सीमाऐं है। अच्छे प्रकाशक भी विद्यालय स्तर तक सीमित संख्या में पुस्तकें उपलब्ध कराने में कम रूचि रखते हैं। फलतः अच्छी व गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की आपूर्ति नहीं हो पाती। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुये राज्य स्तर पर विशेषज्ञों के सहयोग से वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के आधार पर, राज्य स्तरीय पब्लिसिटी की जाकर राज्य स्तर पर पुस्तक सूची तैयार किया जाना आवश्यक है।

प्रस्ताव :– विद्यालय वार्षिक अनुदान योजना के अंतर्गत क्रय हेतु जारी की जाने वाली राशि का गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति के समक्ष निम्नांकित प्रस्तावित बिन्दु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

A. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अंतर्गत विद्यालयों हेतु पुस्तक क्रय का निर्धारण एवं राज्य स्तर पर पुस्तकें आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाना
B. राज्य स्तरीय पुस्तक चयन समिति के गठन का अनुमोदन।
C. राज्य स्तरीय समिति द्वारा पुस्तकों के चयन हेतु पालनार्थ बिन्दु
D. पुस्तक क्रय हेतु क्रय आदेश जारी करने एवं भुगतान प्रकिया का अनुमोदन

A. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अंतर्गत विद्यालयों हेतु पुस्तक क्रय का निर्धारण एवं राज्य स्तर पर पुस्तकें आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाना।

प्रतिवर्ष जारी विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अंतर्गत पुस्तक क्रय हेतु जो राशि विद्यालयों को आवंटित की जावे उसका दो प्रकार से उपयोग किया जाना प्रस्तावित है :–

1. 30 प्रतिशत राशि की पुस्तकें संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय की आवश्यकता एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप क्रय की जावे।
2. 70 प्रतिशत राशि की पुस्तकें राज्य स्तर पर गठित पुस्तक चयन समिति की अनुमोदित सूची में से क्रय की जावे।

इस पहल से राज्य के समस्त विद्यालयों में विद्यालय स्तर एवं राज्य स्तर पर मानक एवं गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें समरूपता से उपलब्ध हो सकेगी जो विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों एवं परीक्षाओं में मददगार होगी।

पुस्तकों की खरीद हेतु पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखे जाने के उद्धेश्य से राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाना उचित होगा, जिसके माध्यम से प्रकाशकों से पुस्तकें आमंत्रित की जा सकेगी। प्रकाशकों से पुस्तकों का विवरण, विषय वस्तु, पुस्तक व पेपर की गुणवत्ता आदि से संबंधित विवरण प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाना आवश्यक होगा। प्रकाशकों द्वारा विज्ञप्ति उपरान्त प्राप्त पुस्तकों में से ही राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की समिति पुस्तकों का चयन कर सूची तैयार करेगी। इसी सूची में से विद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार पुस्तकों के क्रय हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

B. राज्य स्तरीय पुस्तक चयन समिति के गठन का अनुमोदन

राज्य स्तर पर सबमिशन हुई पुस्तकों में से गुणवत्तापूर्ण एवं लक्षित समूहों के लिये उपयोगी पुस्तकों के चयन हेतु राज्य स्तर पर पुस्तक चयन समिति का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

1. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राज. माध्यमिक शिक्षा परिषद्	–	अध्यक्ष
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	–	सदस्य,
3. उप निदेशक (माध्यमिक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर	–	सदस्य
4. सहायक निदेशक, योजना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्	–	सदस्य
5. दो शिक्षाविद्– अध्यक्ष निष्पादक समिति स्तर से मनोनीत सदस्य	–	सदस्य
6. भाषा एवं पुस्तकालय विभाग का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
7. सहायक निदेशक (विद्यालय वार्षिक अनुदान) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्	–	सदस्य सचिव

C. राज्य स्तरीय समिति द्वारा पुस्तकों के चयन हेतु पालनार्थ बिन्दु

उक्त समिति द्वारा पुस्तक चयन हेतु निम्नानुसार मापदंड निर्धारित किये जाने प्रस्तावित है :–

- पुस्तकें चूंकि राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु क्रय की जावेगी। अतः पुस्तक चयन में ज्ञानात्मक एवं प्रबोधात्मक साहित्य प्रमुख आधार होगा।
- चयनित की जाने वाली पुस्तकों में जिस प्रकृति की पुस्तकें रखी जानी है, उसका अनुपात या भागीदारी निम्न प्रकार होगी–

○ सरकारी प्रकाशन	–	20 प्रतिशत
○ सामान्य ज्ञानएवं संदर्भ पुस्तकें	–	25 प्रतिशत
○ कम्प्यूटर विज्ञान, आधुनिकतम तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल संबंधी पुस्तकें	–	20 प्रतिशत
○ कला एवं साहित्य, नैतिक शिक्षा, इतिहास, पर्यावरण, प्रेरक साहित्य, भाषा दर्शन एवं धर्म आधारित पुस्तकें	–	35 प्रतिशत

- अंग्रेजी तथा अन्य भाषा की पुस्तकें व अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद की गई पुस्तकों व पूर्व में चर्चित रही पुस्तकें जिनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समीक्षा प्रकाशित हुई हो, को चयन में प्राथमिकता दी जावे।
- यदि कोई लेखक अपने संसाधन से पुस्तक प्रकाशित कराकर प्रस्तुत करता है एवं समिति की राय में वह पुस्तक उपयोगी हो तो उसे भी चयन किया जा सकता है।
- क्रय की जाने वाली पुस्तकों पर न्यूनतम 35 प्रतिशत छूट (डिस्काउंट) दिया जायेगा।
- सामान्यतः 300/—रू से अधिक मूल्य की पुस्तक का चयन नहीं किया जावे। डिक्शनरी, एनसाईक्लोपीडिया एवं आर्ट बुक्स के लिये यह सीमा लागू नहीं होगी।

D. पुस्तक क्रय हेतु क्रय आदेश जारी करने एवं भुगतान प्रकिया का अनुमोदन

- राज्य स्तर पर चयन समिति द्वारा अनुमोदित सूची समस्त जिलों को प्रेषित की जावेगी।
- उक्त चयनित सूची के आधार पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा विद्यालयों से आवश्यकता के आधार पर क्रय की जाने वाली पुस्तकों की सूची मंगाई जावेगी।
- जिला परियोजना समन्वयक विद्यालयों से प्राप्त चयन सूची के आधार पर उन विद्यालयों हेतु पुस्तकों के क्रयादेश जारी करेंगे।
- प्रकाशक द्वारा जिला परियोजना समन्वयक द्वारा प्रसारित क्रय आदेश के तहत आदेश में निर्देशित समयावधि में पुस्तकों की आपूर्ति कर विद्यालयों को भिजवाई जावेगी। आपूर्ति की गई पुस्तकों के साथ प्रकाशक बिल भी भिजवायेगा, जिसमें प्रकाशक द्वारा बिल की भुगतान योग्य राशि की 5 प्रतिशत राशि (Handling charges) का ड्राफ्ट RCSE के नाम बिल के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।
- प्रकाशकों से प्राप्त Handling charges का उपयोग राज्य स्तर, जिला स्तर एवं विद्यालय स्तर पर पुस्तक क्रय प्रकिया के प्रबंधन में किया जायेगा, एवं इस हेतु अलग से बैंक खाता राज्य स्तर पर खोला जायेगा।
- Handling charges के ड्राफ्ट के बिना, पुस्तके विद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- संस्था प्रधान द्वारा पुस्तके प्राप्त होने के सात दिवस के भीतर बिल प्रमाणीकरण कर जिला परियोजना समन्वयक को भेजा जावेगा।
- जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अपने स्तर से बिल का भुगतान चैक के जरिये पन्द्रह दिवस में किया जावेगा एवं समस्त संस्था प्रधानों से Handling charges की राशि का ड्राफ्ट संकलित कर परिषद् मुख्यालय को अविलम्ब प्रेषित किया जावेगा।

सदस्य सचिव
निष्पादक समिति

अध्यक्ष
निष्पादक समिति

1. (H.S. Bhardwaj)
2. (Maneesha Arora)
3. (Madhu Sudarshan) 8.6.11
4. (B.N Dayal)
5.
6.
7. (Rakesh Verma)
8.
9. (Veenu Gupta IAS)
10. (J. Ravikanth, IAS) Director SIERT
11. (Dr. ... Director IER)
12. (Secy PR)